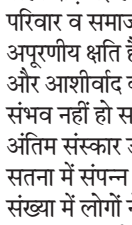
खबर संक्षेप

सेन्ट्रल एकेडमी स्कूल में पर्यावरण जागरूकता कार्यशाला



शहडोल। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी के मार्गदर्शन में नगर के सेन्ट्रल एकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल में एक दिवसीय पर्यावरण जागरूकता कार्यशाला सह संगोष्ठी का सफल आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों और शिक्षक-शिक्षिकाओं को पर्यावरण संरक्षण तथा प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के प्रति विस्तार से जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधियों ने आगामी त्योहारों के दृष्टिगत मूर्ति विसर्जन के दिशानिर्देशों, पटाखों के गंभीर दुष्परिणामों और एकल-उपयोग (सिंगल यूज़) प्लास्टिक के त्याग का आह्वान किया। साथ ही, मिशन लाइफ के तहत जल संरक्षण, बिजली बचत, ई-कचरा (ई-वेस्ट) प्रबंधन और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने पर जोर दिया गया। संगोष्ठी में विद्यार्थियों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और भाषण के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत किए। पर्यावरण चेतना जगाने के उद्देश्य से आयोजित निबंध एवं चित्रकला प्रतियोगिता के प्रतिभागी छात्र-छात्राओं को प्रमाण-पत्र वितरित कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जनजागरूकता शाखा के विश्वनाथ वर्मा, अजीत पटेल, इंद्रभान मिश्रा, कामता प्रसाद सहित विद्यालय संचालक संजय मिश्रा, शिक्षक वृंद एवं 11वीं-12वीं कक्षा के विद्यार्थी बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

ज्ञानोदय स्कूल के डायरेक्टर अजय सिंह की पूज्य माताजी का निधन



शहडोल। नगर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान ज्ञानोदय स्कूल के डायरेक्टर अजय सिंह की पूजनीय माताजी के देवलोकगमन से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। माताजी का जाना परिवार व समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है, जिनकी ममता और आशीर्वाद की भरपाई कभी संभव नहीं हो सकती। उनका अंतिम संस्कार उनके निज निवास सतना में संपन्न हुआ, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दुखद घड़ी में ज्ञानोदय परिवार, स्थानीय नागरिकों व गणमान्य जनों ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की है। ईश्वर शोकाकुल परिवार को इस असहनीय दुख को सहन करने का संबल प्रदान करे।

शारदेय नवरात्रि और दशहरा पर शांति व्यवस्था बनाए रखने पुलिस मुस्तैद

शहडोल। आगामी शारदेय नवरात्रि एवं विजयादशमी (दशहरा) पर्व के दौरान शहर में अमन-चैन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहडोल पुलिस पूरी तरह मुस्तैद हो गई है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशों का पालन करते हुए मंगलवार को थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक राजकुमार मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस ने अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। कार्रवाई के तहत कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र में सक्रिय कुल 10 सूचीबद्ध गुंडों और 15 निगरानी बदमाशों को अचानक थाने में तलब किया। थाने पहुंचे सभी 25 असामाजिक तत्वों के फिंगरप्रिंट (उंगलियों के निशान) लिए गए तथा उनके नए फोटो खींचकर रिकॉर्ड अपडेट किया गया। थाना प्रभारी ने सभी बदमाशों को दो टूक लहजे में सख्त चेतावनी दी है कि त्योहारों के दौरान यदि किसी ने भी विवाद फैलाने, शांति भंग करने या किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त होने की कोशिश की, तो उसके खिलाफ कठोरतम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अपराध दोहराने पर सीधे जेल भेजने का अल्टीमेटम देने के बाद ही बदमाशों को थाने से रवाना किया गया। पुलिस की इस सख्त कार्रवाई से असामाजिक तत्वों में हड़कंप मच गया है।

ब्यौहारी उप-पंजीयक कार्यालय बना पारिवारिक दुकान

मूल पदस्थापना कहीं और प्रभार कहीं और

ब्यौहारी-जयसिंहनगर के चक्कर में कट रहे जनता के दिन

शहडोल। जिले का ब्यौहारी उप-पंजीयक कार्यालय इन दिनों शासकीय व्यवस्था और सेवा का केंद्र कम, और पारिवारिक व्यावसायिक प्रतिष्ठान ज्यादा नजर आ रहा है। तहसील कार्यालय परिसर में पंजीयन व्यवस्था को लेकर जिस तरह की शिकायतें और अनियमितता की परतें खुल रही हैं, उसने न केवल प्रशासनिक साख पर सवालिया निशान लगा दिया है, बल्कि पंजीयन व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। कार्यालयीन गलियारों में सबसे बड़ा चर्चा का विषय पिता-पुत्र की जुगलबंदी है। उप-पंजीयक विष्णुकांत तिवारी की मूल पदस्थापना यूं तो जयसिंहनगर तहसील में है, लेकिन ब्यौहारी कार्यालय का मलाईदार अतिरिक्त प्रभार भी उन्हीं की जेब में है। अब आलम यह है कि सरकारी कुर्सी पर बैठकर शासकीय दायित्वों का निर्वहन करने के बजाय, कथित रूप से साहब के सुपुत्र शशिकांत तिवारी की सक्रियता दफ्तर में ज्यादा दिखाई देती है। शिकायतों की मानें तो दस्तावेजों के पंजीयन से लेकर संवेदनशील विभागीय कार्यों और ओटीपी तक की कमान साहब के साहबजादे संभाल रहे हैं। सवाल यह उठता है कि क्या मप्र शासन ने ब्यौहारी रजिस्ट्री दफ्तर में कार्य संपादन के लिए पुत्र को अधिकृत कर रखा है? अगर नहीं, तो एक गैर-सरकारी व्यक्ति सरकारी फाइलों और पासवर्ड से कैसे खेल सकता है? यह सीधे तौर पर प्रशासनिक निष्ठा पर तमाचा और विभागीय गोपनीयता का खुला उल्लंघन है।

नियमों की आड़ में वसूली का खेल

आरोपों की श्रृंखला यहीं खत्म नहीं होती। ब्यौहारी उप-पंजीयक कार्यालय में दस्तावेजों का पंजीयन होना जितना आसान है, उतना ही आसान इसे रिफ्यूज करवाना भी है, बस शर्त इतनी है कि आपकी सेटिंग सही बैठनी चाहिए। आरोप हैं कि जिन आवेदकों



द्वारा कथित रूप से अनुचित धनराशि (सुविधा शुल्क) की मांग पूरी नहीं की जाती, उनके दस्तावेजों में तमाम तरह की तकनीकी कमियां और बाल की खाल निकालकर उन्हें रिफ्यूज का ठप्पा लगा दिया जाता है। या फिर फाइल को ऐसे अटका दिया जाता है कि पीड़ित व्यक्ति चक्कर काट-काटकर पस्त हो जाए। आखिर नियम-कायदों का यह भय केवल उन्हीं के लिए क्यों जागता है जो जेब ढीली नहीं करते? क्या दस्तावेजों को रिफ्यूज करने के पीछे वाकई वैधानिक कारण हैं या फिर सिर्फ अपनी जेबें भरने का नायाब तरीका? इस काले सच को उजागर करने के लिए रिफ्यूजल आदेशों और आवेदनकर्ताओं की अर्जियों की फॉरेंसिक और उच्चस्तरीय जांच बेहद जरूरी है।

जयसिंहनगर से ब्यौहारी तक का लापता खेल

दो-दो जगह की बागडोर संभालने का सुख भोग रहे उप-पंजीयक महोदय की नियमित अनुपस्थिति से नागरिक खून के आंसू रोने को मजबूर हैं। आम जनता दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों से किराए के पैसे खर्च करके रजिस्ट्री कराने, प्रमाणित प्रतियां लेने या अन्य सरकारी कामों के लिए ब्यौहारी आती है, लेकिन साहब की कुर्सी खाली मिलती है। आज जयसिंहनगर में हैं तो, ब्यौहारी की जनता परेशान और ब्यौहारी में हैं तो, जयसिंहनगर के नागरिक हलकान है, नतीजा यह है कि पेंडेंसी का पहाड़ खड़ा हो चुका है और समय सीमा में मिलने वाली सेवाएं केवल कागजों में सिमट कर रह गई हैं। अगर उपस्थिति पंजी, बायोमेट्रिक रिकॉर्ड और लंबित आवेदनों की समीक्षा की जाए, तो साहब की ड्यूटी के असली आंकड़ों की पोल खुल जाएगी।

सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम पारी

कहा जा रहा है कि उप-पंजीयक विष्णुकांत तिवारी की सरकारी सेवा की पारी अब ढलान पर है और उनकी सेवानिवृत्ति में महज कुछ ही महीने शेष बचे हैं। स्थानीय लोगों और शिकायतकर्ताओं का सीधा आरोप है कि सेवानिवृत्ति की आहट सुनते ही जाते-जाते सब समेट लो वाली नीति पर काम हो रहा है। यही वजह है कि सेवानिवृत्ति से पहले उनके कार्यकाल की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच की मांग अब तेज हो गई है। ताकि अगर कोई वित्तीय अनियमितता या पद का दुरुपयोग हुआ है, तो पेंशन की फाइल बनने से पहले जिम्मेदारी तय की जा सके और शासन को लगाए जा रहे चूने का हिसाब हो सके।

वरिष्ठ अधिकारी कब खोलेंगे नींद की पट्टी

पूरा मामला सरकारी तंत्र की पारदर्शिता, कार्यशैली और जनता के प्रति जवाबदेही पर करारा प्रहार है। जिला प्रशासन और वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की चुप्पी भी अब सन्देह के घेरे में है। क्या जिला पंजीयक और कलेक्टर महोदय इस गंभीर मामले का स्वतः संज्ञान लेंगे? जनता की मांग है कि तत्काल प्रभाव से ब्यौहारी कार्यालय के अभिलेखों को जब्त कर निष्पक्ष जांच टीम बैठाई जाए। पिता-पुत्र की इस कथित दुकानदारी पर ताला लगाया जाए, संबंधित अधिकारी का पक्ष सुनकर दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो न केवल विभागीय कार्रवाई हो, बल्कि शासकीय कार्य में अनाधिकृत दखल देने और जनता को प्रताड़ित करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।

शहडोल नगर पालिका में जल कर जमा करने पहुंचे नागरिक से मारपीट



शहडोल। जनता के गाढ़े पसीने की कमाई और टैक्स के पैसों से हर महीने अपनी तनख्वाह उठाने वाले नगर पालिका शहडोल के कर्मचारियों का रवैया अब 'लोकसेवक' जैसा कम और 'सड़क छाप दबंगों' जैसा ज्यादा नजर आने लगा है। संभागीय मुख्यालय की इस जिम्मेदार संस्था में आए दिन आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान तो दूर, अब सीधे हाथापाई और थप्पड़बाजी का खेल शुरू हो गया है। ताजा मामला बीते दिन 13 अक्टूबर 2026 का है, जब पुरानी बस्ती शहडोल के रहने वाले तेजबली मौर्य पिता जियालाल मौर्य नगर पालिका दफ्तर में जलकर की रसीद कटवाने और राशि जमा करने पहुंचे थे, लेकिन जलकर काउंटर पर मौजूद कर्मचारी हरिप्रताप सिंह का मूड शायद जनता की सेवा करने का नहीं था। जैसे ही उपभोक्ता ने रसीद काटने का आग्रह किया, कथित कर्मचारी आपा खो बैठा और उसने पीड़ित नागरिक पर तीन-चार थप्पड़ जड़ दिए, अन्य कर्मचारियों ने किसी तरह बीच-बचाव किया, लेकिन इस गुंडागर्दी का शिकार हुआ नागरिक रोता-बिलखता सीधे मुख्य नगर पालिका अधिकारी के चेंबर में पहुंचा, जहां 'साहब' नदारद मिले। आखिरकार पीड़ित को न्याय की गुहार लगाने के लिए थाना कोतवाली का दरवाजा खटखटाना पड़ा। नगर पालिका में पदस्थ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों और कनिष्ठ स्टाफ की दबंगई का आलम यह है कि वे आम जनता से सीधे मुंह बात करना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। दफ्तर में काम से आने वाले बुजुर्गों, महिलाओं और करदाताओं के साथ अभद्रता करना यहां की रोजमर्रा की आदत बन चुकी है। अगर कोई मजबूर नागरिक कर्मचारियों की इस तानाशाही के खिलाफ पलटकर आवाज उठा दे या हाथ उठा दे, तो पूरा नगर पालिका प्रशासन और आला अफसर एकजुट होकर उस नागरिक के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने में एक मिनट की देरी नहीं करते, लेकिन जब यही बेलगाम कर्मचारी खुलेआम दफ्तर परिसर में आम जनता पर हाथ छोड़ रहे हैं, तब नगर पालिका प्रशासन मौन साधकर धृतराष्ट्र की भूमिका में दुबक जाता है। सार्वजनिक स्थल और सरकारी दफ्तर में जलकर जमा करने आए टैक्स पेयर के साथ हुई इस बर्बरता ने नगर पालिका के खोखले सुशासन की पोल खोलकर रख दी है। पूर्व में भी नागरिकों ने मौखिक रूप से अभद्र व्यवहार की कई शिकायतें की थीं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई न होने का ही नतीजा है कि कर्मचारियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब वे गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। पीड़ित तेजबली मौर्य ने सीएमओ को लिखित आवेदन देकर दोषी कर्मचारी हरिप्रताप सिंह पर कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है।

जयसिंहनगर में तालाब की बाउंड्रीवॉल निर्माण पर उठे सवाल

कम एमएम के सरिया, देशी ईंट और घटिया रेत के उपयोग का आरोप







निर्माण लागत और स्वीकृति पर भी पारदर्शिता की मांग

जयसिंहनगर। नगर परिषद जयसिंहनगर के वार्ड क्रमांक 12 स्थित बस स्टैंड के पीछे मत्स्य विभाग से बने तालाब के किनारे मत्स्य विभाग द्वारा कराए जा रहे बाउंड्रीवॉल निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। निर्माण कार्य में निर्धारित मानकों के अनुरूप सामग्री का उपयोग किए जाने को लेकर संदेह जताया जा रहा है। आरोप है कि बाउंड्रीवॉल के निर्माण में कम एमएम के सरिया, देशी ईंटों तथा घटिया गुणवत्ता की रेत का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा निर्माण स्थल पर सूचना बोर्ड लगाए जाने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। शासकीय निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और निर्धारित तकनीकी मापदंडों का पालन अनिवार्य है। ऐसे में तालाब की बाउंड्रीवॉल के निर्माण में उपयोग किए जा रहे सरिया की मोटाई, ईंटों की गुणवत्ता, रेत के मानक तथा निर्माण की तकनीकी प्रक्रिया की जांच आवश्यक है। यदि निर्माण कार्य में स्वीकृत प्राक्कलन अथवा निर्धारित मानकों के विपरीत सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, तो इससे निर्माण की मजबूती और टिकाऊपन प्रभावित होने की आशंका है। इस निर्माण कार्य को लेकर यह सवाल भी उठ रहा है कि बाउंड्रीवॉल निर्माण की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति किस विभाग द्वारा प्रदान की गई है? निर्माण कार्य की कुल स्वीकृत लागत कितनी है, कार्य किस एजेंसी या ठेकेदार के माध्यम से कराया जा रहा है तथा निर्माण पूर्ण करने की समय-सीमा क्या निर्धारित की गई है? इन जानकारियों को सार्वजनिक किए जाने की मांग की जा रही है, ताकि नागरिकों को शासकीय राशि के उपयोग और निर्माण कार्य की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल सके।

मामले में संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मांग है कि वे निर्माण स्थल का निरीक्षण कराएं और सरिया की मोटाई, निर्माण सामग्री की गुणवत्ता तथा स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप किए जा रहे कार्य की तकनीकी जांच कराएं। साथ ही निर्माण कार्य की स्वीकृति, लागत, कार्यादेश और संबंधित ठेकेदार या निर्माण एजेंसी का विवरण सार्वजनिक किया जाए। यदि जांच में घटिया अथवा अमानक सामग्री के उपयोग की पुष्टि होती है, तो जिम्मेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए और आवश्यकतानुसार निर्माण कार्य में सुधार कराया जाए। अब देखना यह है कि संबंधित अधिकारी इन सवालों पर संज्ञान लेकर निर्माण कार्य की गुणवत्ता और शासकीय धन के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाते हैं।

गांधी चौक पर भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस सांसद का फूंका पुतला





शहडोल। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में सामने आए यौन उत्पीड़न मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं का आक्रोश सड़कों पर उतर आया। इस गंभीर मामले में आरोपी कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजम को कांग्रेस नेतृत्व द्वारा कथित संरक्षण दिए जाने के विरोध में जिला मुख्यालय स्थित गांधी चौक पर जोरदार विरोध-प्रदर्शन किया गया। प्रदेश नेतृत्व के निर्देश एवं जिलाध्यक्ष श्रीमती अमिता चपरा के मार्गदर्शन में आयोजित इस प्रदर्शन में महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष नीलम चतुर्वेदी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सांसद का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। गांधी चौक पर एकत्र हुई महिला कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों और शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी पर कड़ा प्रहार किया। भाजपा नेताओं ने सीधे सवाल दागते हुए कहा कि महिलाओं के मान-सम्मान के संवेदनशील मुद्दे पर राहुल गांधी मौन क्यों साधे हुए हैं? पीड़ित बेटियों को न्याय दिलाने और आरोपी सांसद पर सख्त कार्रवाई करने के बजाय उन्हें संरक्षण क्यों दिया जा रहा है? नेताओं ने कहा कि नारी शक्ति के स्वाभिमान और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस को अपनी दोहरी नीति छोड़कर पीड़ित बेटियों के पक्ष में जवाबदेही तय करनी होगी। पुतला दहन और प्रदर्शन के दौरान महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती शालिनी सरावगी, जिलाध्यक्ष नीलम चतुर्वेदी, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष सत्यभामा गुप्ता, उर्मिला कटारे, संतोष लोहानी, मनोज गुप्ता, गोपाल शर्मा, रवींद्र वर्मा, आयुष पांडे, सुनीता तर्किहार, सरिता शर्मा, पुष्पा द्विवेदी, रेखा त्रिपाठी, सुनीता यादव, जागृति कुसुम, नीलम पटेल, रचना श्रीवास्तव, रागिनी गुप्ता, निशा सक्सेना, रीता सोनी, उषा, निशा गौतम, श्रद्धा सिसोदिया, रोशनी सोनी, लक्ष्मी साहू, ज्योति तिवारी, आशा सोनी, रामा पदम, सविता अवस्थी, लक्ष्मी पांडे, सीमा गहरवार, काजल सरावगी, वंशिका मजूमदार, सविता सिंह, शिप्रा मजूमदार और रोशनी सराफ सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।



सर्वर ठप, पटवारी गायब... अब बिचौलियों की पौ-बारह

पंजीकरण की तिथि नहीं बढ़ी तो किसान संघ करेगा कलेक्ट्रेट का घेराव

शहडोल। डिजिटल इंडिया का ढोल पीटने वाले अफसरों के खोखले दावों की पोल जिले के धान उपार्जन केंद्रों पर खुलकर खुल गई है। कागजों पर किसानों की आय दोगुनी करने का राग अलापने वाला प्रशासन जमीनी हकीकत में किसानों को पाई-पाई का मोहताज बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। मामला खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के धान पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) का है। 10 अक्टूबर को पंजीयन की अंतिम तारीख क्या बीती, मानो जिले के हजारों किसानों की किस्मत पर सरकारी ताला ही लटक गया।

जिले भर के हजारों पात्र किसान आज दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। वजह सरकारी महकमों की लापरवाही और तकनीकी नाकामी, पंजीयन की मुख्य समय-अवधि के दौरान ही जिले के पटवारी अपनी कलमबंद हड़ताल की तान छेड़े बैठे रहे। खसरा और बी-1 का सत्यापन रुका रहा और उधर डिजिटल सिस्टम खराटे भरता रहा। अंतिम दिनों में जब किसान पंजीयन के लिए सोहागपुर, बुढ़ार, गोहपारू और जयसिंहनगर के केंद्रों पर पहुंचे, तो ई-उपार्जन का सर्वर पूरी तरह ठप पड़ा था। मोबाइल पर ओटीपी आने का नाम नहीं ले रहा था और साइट क्रैश हो चुकी थी। कडकड़ाती धूप और रातों की धुंध में लाइनों में खड़े-खड़े किसानों के जूते घिस गए, लेकिन पोर्टल महाशय टस से मस न हुए।

दूरस्थ अंचलों और वन ग्रामों के गरीब, आदिवासी और लघु-सीमांत किसानों की स्थिति तो और भी बदतर है। नेटवर्क का अतापता नहीं और भूमि दस्तावेजों की जटिलता ऐसी कि उनका डेटा पोर्टल पर दर्ज ही नहीं हो सका। सवाल यह उठता है कि क्या डिजिटल तकनीक का मकसद किसानों को सुविधा देना था या उन्हें अपनी ही उपज बेचने से वंचित करना?

यदि इन छूटे हुए किसानों का धान पंजीयन समय रहते नहीं हुआ, तो मेहनत से उगाई गई फसल को औने-पौने दामों में बिचौलियों (दलालों) के हाथों बेचने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। मुनाफाखोर बिचौलिए बांहें फैलाए तैयार बैठे हैं और किसान एक बार फिर कर्ज के दलदल में धकेले जाने की कगार पर है।

अन्नदाताओं के हक पर इस डाके के खिलाफ भारतीय किसान संघ ने मोर्चा खोल दिया है। जिलाध्यक्ष धनंजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री एवं कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रशासन की इस घोर लापरवाही पर कड़ा एतराज जताया है।

भारतीय किसान संघ ने मांग रखी है कि धान पंजीयन पोर्टल को तुरंत कम से कम 10 से 15 दिनों के लिए दोबारा खोला जाए, ताकि हर छूटे किसान का शत-प्रतिशत पंजीयन हो सके। सर्वर की बीमारी का इलाज करते हुए जिले के सभी 38 पंजीयन केंद्रों एवं तहसील स्तरों पर विशेष ऑफलाइन काउंटर शुरू किए जाएं, जहाँ किसान खसरा-आधार जमा कर सकें। पटवारी हड़ताल के कारण अटके आवेदनों का राजस्व एवं खाद्य विभाग के समन्वय से तुरंत ऑन-स्पॉट सत्यापन कराया जाए। पंजीकृत किसानों की धान की सीमा सीमित न की जाए, बल्कि उनकी पूरी 100त्न उपज को सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए।

समय रहते सुधर जाओ, वरना कलेक्ट्रेट का घेराव तय!

भारतीय किसान संघ ने जिला प्रशासन को सीधे शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि समय रहते अन्नदाताओं की इन जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर तिथि नहीं बढ़ाई गई, तो संघ जिले भर के किसानों को लामबंद कर उग्र आंदोलन और कलेक्ट्रेट का घेराव करेगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी सोए हुए जिला प्रशासन की होगी।



(गायत्री मंदिर के पास विराजमान माता रानी) (रघुराज स्कूल पास विराजमान माता रानी) (नटराज मार्केट के पास विराजमान माता रानी) (मोहन राम तालाब के पास विराजमान माता रानी) (रमेश तेल मिल के बाड़े विराजमान माता रानी) (इन्द्रा चौक में विराजमान माता रानी) (बुद्धर रोड में विराजमान माता रानी) (अभयकुंज के पास विराजमान माता रानी) (डवेल्पमेंट एरिया में विराजमान माता रानी)

खबर संक्षेप

शारदेय नवरात्रि पर उमरिया में सीएम मुख्यमंत्री की सौगात



उमरिया। शारदेय नवरात्रि के पावन और उत्सवपूर्ण अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जिले के मानपुर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम गुरुवाही (ताला) में आयोजित भव्य लाड़ली बहना सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कोटि-कोटि माताओं-बहनों को बड़ी सौगात देते हुए मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 41वीं किस्त की राशि सिंगल क्लिक से उनके खातों में अंतरित की। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के समग्र विकास को गति देते हुए 144 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन किया गया।

1 करोड़ 25 लाख बहनों के खातों में पहुंची 41वीं किस्त- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख से अधिक लाड़ली बहनों के खातों में कुल 1834 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित की। इसके साथ ही, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और लाड़ली बहनों को गैस सिलेंडर रिफिल के लिए 23 लाख से अधिक बहनों को 115 करोड़ रुपये की अनुदान राशि भी भेजी गई। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हमारी सरकार सच्चा वादा-पक्का काम के भाव के साथ प्रदेश की जनता से किए गए सभी जनकल्याणकारी वादों को पूरा करते हुए निरंतर आगे बढ़ रही है। उन्होंने गर्व के साथ साझा किया कि प्रदेश की आधी आबादी के सशक्तिकरण का परिणाम यह है कि आज राज्य के एक-चौथाई जिलों में हमारी बहनें कलेक्टर और संभागायुक्त जैसे प्रशासनिक पदों की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। आयुक्त श्रीमती सुरभि गुप्ता और कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय इसके जीवंत उदाहरण हैं।

महिला कल्याण और स्वरोजगार को सर्वोपरि प्राथमिकता- सरकार ने महिला उत्थान के लिए बजट प्रावधान को ऐतिहासिक रूप से बढ़ाते हुए 47 हजार करोड़ रुपये किया है। आज प्रदेश की 65 लाख बहनें स्व-सहायता समूहों से जुड़कर आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं, जिनमें 25 प्रतिशत लखपति दीदी शामिल हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और अनूठी पहल करते हुए मुख्यमंत्री ने पाली विकासखंड के सेवा महिला संघ चौरी सेक्टर की महिलाओं को आजीविका एक्सप्रेस वाहन की चाभी सौंपी। यह वाहन ग्रामीण क्षेत्रों में महिला दीदीयों के आवागम और आजीविका को सुगम बनाएगा।

144 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात- उमरिया जिले के चहुंमुखी विकास के लिए मुख्यमंत्री ने कुल 144 करोड़ रुपये की लागत के 136 विकास कार्यों की सौगात दी। इसमें 87 करोड़ रुपये की लागत के 68 पूर्ण कार्यों का लोकार्पण और 57 करोड़ रुपये की लागत के 68 नए कार्यों का भूमि-पूजन शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।

उमरिया में सांदीपनि विद्यालय की स्थापना की जाएगी। मानपुर एवं पाली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का सिविल अस्पताल के रूप में उन्नयन किया जाएगा। चिल्हारी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना होगी तथा नगर परिषद बनाने के संबंध में परीक्षण किया जाएगा। अमरपुर उप तहसील को तहसील के रूप में विकसित किया जाएगा। पाली में धार्मिक पर्यटन और होमस्टे को बढ़ावा देने के लिए 3 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन का सर्वांगीण विकास- मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कृषि, सिंचाई और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। किसानों की आय वृद्धि के लिए गोपालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा, बांधवगढ़ और पूरे शहडोल संभाग में पर्यटन गतिविधियों को तेजी से विस्तार दिया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं—लाड़ली लक्ष्मी योजना, स्व-सहायता समूह क्रेडिट लिंकेज, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना तथा डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के हितग्राहियों को लाभान्वित किया।

बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज का आकस्मिक चिकित्सा विभाग चौबीसों घंटे जनसेवा में समर्पित

सेवा, समर्पण और संवेदना के पांच वर्ष

मरीजों के लिए जीवनरक्षक का केंद्र बना आपातकालीन विभागचिकित्सक डॉ. विपिन कुमार पटेल ने साझा किए अनुभव





शहडोल। चिकित्सा केवल एक पेशा नहीं, बल्कि मानवता की सेवा का सबसे बड़ा संकल्प है। जब किसी मरीज का जीवन संकट में होता है, सड़क दुर्घटना में घायल को तत्काल उपचार की आवश्यकता होती है, या किसी दूरस्थ ग्रामीण अंचल से कोई गंभीर मरीज अस्पताल पहुंचता है, तब चिकित्सक का प्राथमिक कर्तव्य हरसंभव प्रयास से जीवन बचाना होता है। इसी सेवा, समर्पण और मानवीय संवेदना के संकल्प के साथ बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज के आकस्मिक चिकित्सा विभाग में कार्य करते हुए चिकित्सा अधिकारी डॉ. विपिन कुमार पटेल को पांच वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इन पांच वर्षों की यात्रा के दौरान शहडोल सहित आसपास के जिलों, तहसीलों और विशेष रूप से ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों से आने वाले हजारों मरीजों का प्राथमिक उपचार कर उन्हें नई जिंदगी देने का प्रयास किया गया है। यह यात्रा समाज के अंतिम छोर तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचाने के संकल्प का जीवंत उदाहरण है।

हर परिस्थिति में जीवन बचाने की चुनौती

आकस्मिक चिकित्सा विभाग एक ऐसा स्थान है जहां हर दिन अलग-अलग और गंभीर परिस्थितियों में मरीज पहुंचते हैं। यहां शुरुआती कुछ मिनट मरीज के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में सडक़ दुर्घटनाओं के मामलों के अलावा जहर सेवन, सर्पदंश, जंगली जानवरों के हमले, हृदय आघात और फेफड़ों की गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को यहाँ तत्काल उपचार प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही सामान्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों को भी विशेषज्ञ विभागों में भेजने की व्यवस्था की जाती है। यह पूरी सफलता विभाग के सभी चिकित्सा अधिकारियों और स्वास्थ्यकर्मियों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है।

ग्रामीण और आदिवासी मरीजों की सेवा सर्वोच्च प्राथमिकता

शहडोल संभाग की भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बीच जीवनयापन करने वाले गरीब परिवारों के लिए गंभीर बीमारी बड़ी चिंता का विषय होती है। ऐसे में सरकारी चिकित्सा संस्थान ही आम जनता की मुख्य आशा होते हैं। विभाग का निरंतर यह प्रयास रहता है कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण कोई भी मरीज बुनियादी इलाज से वंचित न रहे और प्रत्येक व्यक्ति के साथ पूरी संवेदनशीलता व सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए।

मेडिको-लीगल दायित्वों का भी निष्पक्ष निर्वहन

आकस्मिक चिकित्सा विभाग की जिम्मेदारी केवल उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि दुर्घटनाओं और संदिग्ध मामलों में मेडिको-लीगल औपचारिकताएं पूरी करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। चोटों का उचित दस्तावेजीकरण और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए मरीज के स्वास्थ्य और गरिमा को सर्वोपरि रखा जाता है।

चौबीसों घंटे और सातों दिन निरंतर सेवा

आपातकालीन सेवाओं की कोई समय-सीमा नहीं होती। दिन हो या रात, सामान्य दिन हो या अवकाश, यह विभाग चौबीस घंटे और सातों दिन जरूरतमंदों की सेवा के लिए तत्पर रहता है। शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व के शुभारंभ पर डॉ. विपिन कुमार पटेल ने आदि शक्ति मां दुर्गा से समस्त नागरिकों के स्वस्थ, सुखी और सुरक्षित रहने की कामना की है। उन्होंने कहा कि उनका और उनकी पूरी टीम का संकल्प स्पष्ट है—मरीज की पीड़ा को समझना, संकट के समय उनके साथ खड़े रहना और उपलब्ध संसाधनों के भीतर सर्वोत्तम चिकित्सा सहायता प्रदान करना।

भक्ति और शक्ति के रंग में रंगा शहडोल, नवरात्रि पर भव्य पंडालों में मां दुर्गा विराजमान

उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़



शहडोल। जगत जननी मां आदिशक्ति की उपासना का महापर्व शारदेय नवरात्रि पूरे शहडोल संभागीय मुख्यालय में असीम श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। नगर के कोने-कोने में जय माता दी के जयकारों की गूंज है और संपूर्ण माहौल भक्तिमय हो उठा है। शहर के प्रमुख चौक-चौराहों और धार्मिक स्थलों पर मां दुर्गा की अत्यंत नयनाभिराम व भव्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इस बार विभिन्न पूजा समितियों द्वारा तैयार किए गए आकर्षक एवं भव्य पूजा पंडाल आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। अद्भुत विद्युत सज्जा और कलात्मक कारीगरी से सजे ये पंडाल रात के समय रोशनी से जगमगा उठते हैं, जो श्रद्धालुओं का मन मोह रहे हैं। शाम होते ही माता रानी के दर्शन और आरती के लिए पंडालों में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ रहा है। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी बड़े ही उत्साह के साथ भक्ति गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। मंदिरों और पंडालों में ढोल-नगाड़ों की थाप, शंखध्वनि और मधुर भजनों के बीच मां की महाआरती की जा रही है। शहर की प्रमुख समितियों द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। माता रानी का यह पावन पर्व न केवल भक्ति का संदेश दे रहा है, बल्कि समाज में एकता, शांति और सांस्कृतिक समृद्धि की अनूठी छटा भी बिखेर रहा है।

कोतमा में कानफोड़ू 'पटाखा बुलेट' से नागरिक परेशान, कार्रवाई नहीं होने से बढ़ रही नाराजगी

मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर सड़कों पर निकाल रहे पटाखों जैसी आवाज

शांति समिति की बैठक में भी उठ चुका है मुद्दा, फिर भी कार्रवाई का इंतजार

कोतमा। नगर के मुख्य मार्गों, बाजारों और रिहायशी इलाकों में मॉडिफाइड साइलेंसर लगी बुलेट मोटरसाइकिलों से पटाखों जैसी तेज आवाज निकालने का मामला आम नागरिकों के लिए परेशानी का कारण बनता जा रहा है। कुछ युवा रॉयल एनफील्ड बुलेट सहित अन्य मोटरसाइकिलों में बदलाव कराकर सड़क पर अचानक धमाके जैसी आवाज निकालते हैं। इससे राहगीरों में घबराहट पैदा होती है, वहीं बुजुर्गों, छोटे बच्चों, विद्यार्थियों और बीमार लोगों को भी मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नागरिकों का कहना है कि सार्वजनिक सड़कों पर इस तरह की हरकतों से शांति और यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है, लेकिन कोतमा में इस पर प्रभावी कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है। नगर के मुख्य मार्गों से लेकर संकरी गलियों और रिहायशी इलाकों तक तेज आवाज वाली मोटरसाइकिलों की समस्या को लेकर लोगों में नाराजगी है। आरोप है कि कुछ वाहन चालक जानबूझकर ऐसे साइलेंसरों का इस्तेमाल करते हैं, जिनसे सामान्य आवाज के बजाय पटाखे फूटने जैसी तेज ध्वनि निकलती है। कई बार अचानक होने वाला यह धमाका फायरिंग जैसी आवाज का भ्रम पैदा करता है। इससे सड़क पर चल रहे लोग चौंक जाते हैं और वाहन चलाते समय दुर्घटना की आशंका भी बढ़ सकती है। सबसे अधिक परेशानी उन लोगों को होती है, जिन्हें शांत वातावरण की जरूरत है। घरों में आराम कर रहे बुजुर्गों, पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों और उपचाररत मरीजों के लिए यह शोर परेशानी का कारण बनता है। नागरिकों का सवाल है कि मनोरंजन, दिखावे या रौब जमाने के लिए दूसरों की शांति भंग करने की अनुमति आखिर किसने दी है?



नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई का प्रावधान

वाहनों में निर्धारित मानकों के विपरीत साइलेंसर लगाना और ध्वनि प्रदूषण फैलाना मोटर वाहन नियमों के तहत कार्रवाई का आधार बन सकता है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 120 में साइलेंसर और ध्वनि से संबंधित प्रावधान हैं, जबकि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 190(2) निर्धारित ध्वनि एवं वायु प्रदूषण मानकों के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान करती है। इसके बावजूद यदि कोई वाहन चालक जानबूझकर तेज और धमाके जैसी आवाज निकालने वाले साइलेंसर का उपयोग कर रहा है, तो ऐसे वाहनों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। जरूरत पड़ने पर मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने वाले प्रतिष्ठानों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए, ताकि समस्या पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

शांति समिति में उठी मांग कार्रवाई का इंतजार

जिले में यातायात पुलिस द्वारा मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ अभियान चलाए जाने और चालानी कार्रवाई किए जाने की जानकारी सामने आती रही है। ऐसे में कोतमा के नागरिकों का सवाल है कि जब जिले में इस समस्या को रोकने के लिए कार्रवाई की जा सकती है, तो नगर में नियमित जांच क्यों नहीं हो रही? विगत दिनों थाना परिसर में आयोजित शांति समिति की बैठक में भी कानफोड़ू आवाज निकालने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर युक्त वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने की मांग उठाई गई थी। इसके बावजूद स्थानीय नागरिकों का कहना है कि उन्हें अब तक अपेक्षित कार्रवाई दिखाई नहीं दी है। इससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। नागरिकों की मांग है कि कोतमा पुलिस और यातायात विभाग संयुक्त रूप से मुख्य मार्गों, बाजारों तथा रिहायशी क्षेत्रों में जांच अभियान चलाएं। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई के साथ अवैध रूप से लगाए गए साइलेंसरों के संबंध में भी नियमानुसार कदम उठाए जाएं। अब सवाल यह है कि शांति समिति की बैठक में उठी मांग के बाद भी कोतमा में प्रभावी कार्रवाई कब शुरू होगी? नागरिकों को उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए ऐसा अभियान चलाएगा, जिससे सड़कों पर पटाखों जैसी आवाज निकालने की प्रवृत्ति पर रोक लगे और आम लोगों को राहत मिल सके।

श्री आदर्श दुर्गा पूजा समिति, तहसील प्रांगण कोतमा में सजा मां का भव्य दरबार

माता रानी के दर्शन के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु, भक्तिमय माहौल में गूंज रहे माता के जयकारे



कोतमा। शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर कोतमा नगर में चारों ओर भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में श्री आदर्श दुर्गा पूजा समिति, तहसील प्रांगण कोतमा द्वारा मां दुर्गा का भव्य दरबार सजाया गया है। आकर्षक साज-सज्जा और श्रद्धा से परिपूर्ण वातावरण के बीच विराजमान मां दुर्गा की प्रतिमा श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। तहसील प्रांगण में सजे मां के दरबार में दर्शन-पूजन के लिए श्रद्धालुओं की आस्था उमड़ रही है। माता रानी के जयकारों से पूरा परिसर भक्तिमय हो उठा है। नवरात्रि के दौरान भक्त मां दुर्गा की आराधना कर परिवार की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना कर रहे हैं। श्री आदर्श दुर्गा पूजा समिति द्वारा मां दुर्गा की स्थापना के साथ धार्मिक उत्साह का वातावरण निर्मित किया गया है। नवरात्रि के पावन दिनों में मां के दर्शन और पूजा-अर्चना का विशेष महत्व है। श्रद्धालु पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ माता रानी के दरबार में पहुंचकर शीश नवाते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। कोतमा नगर में नवरात्रि पर्व को लेकर उत्साह का माहौल है। विभिन्न स्थानों पर स्थापित दुर्गा प्रतिमाओं के बीच तहसील प्रांगण स्थित श्री आदर्श दुर्गा पूजा समिति का दरबार भी श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। नवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि शक्ति, भक्ति और सामाजिक एकता का प्रतीक भी है। इन नौ दिनों में श्रद्धालु मां दुर्गा की उपासना कर धर्म और संस्कृति के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हैं। मां के दरबार में पहुंचकर भक्त आध्यात्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं। नवरात्रि के शुभ अवसर पर पत्रकार मदन चौधरी एवं अखिलेश नामदेव ने सभी को नवरात्रि की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। जय माता दी के जयकारों के साथ कोतमा नगर माता रानी की भक्ति में सराबोर है। मां दुर्गा सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें और सबके जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि का संचार करें।

नर्मदा मंदिर के समक्ष गरबा-डांडिया की धूम, महिलाओं और युवतियों ने बिखेरी सांस्कृतिक छटा

अमरकंटक में पहली बार तीन दिवसीय भव्य उत्सव का शुभारंभ

अमरकंटक। पवित्र नगरी अमरकंटक में शारदीय नवरात्र की उमंग के बीच पहली बार आयोजित भव्य गरबा एवं डांडिया उत्सव ने नगर के सांस्कृतिक परिवेश में नई ऊर्जा का संचार कर दिया है। नर्मदा मंदिर के समक्ष 13 अक्टूबर को आयोजित तीन दिवसीय उत्सव के प्रथम दिन महिलाओं एवं युवतियों में अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला। पारंपरिक परिधानों, गरबा की मनमोहक लय और डांडिया की खनक के बीच पूरा वातावरण उल्लास, उमंग और सांस्कृतिक रंगों से सराबोर नजर आया। प्रथम दिवस के आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाओं एवं युवतियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। गरबा और डांडिया की आकर्षक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रतिभागियों ने भारतीय लोकसंस्कृति की अनुपम छटा बिखेरी। सामूहिक नृत्य और उत्साहपूर्ण सहभागिता ने आयोजन को यादगार बना दिया। अमरकंटक में पहली बार इस प्रकार के सामूहिक सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन होने से नगर की महिलाओं और युवतियों में विशेष उत्सुकता दिखाई दी। इस तीन दिवसीय आयोजन का उद्देश्य नगर की महिलाओं एवं युवतियों को एक साझा मंच प्रदान करना तथा भारतीय संस्कृति, पारंपरिक लोकनृत्य और सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करना है। साथ ही, इस पहल के माध्यम से आपसी प्रेम, सौहार्द, एकता और सामाजिक सद्भाव की भावना को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है। गरबा और डांडिया जैसे पारंपरिक लोकनृत्य केवल मनोरंजन के साधन नहीं, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं की जीवंत अभिव्यक्ति भी हैं। ऐसे आयोजनों से नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने का अवसर मिलता है। साथ ही, महिलाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने, नए संबंध स्थापित करने और सामूहिक सहभागिता के माध्यम से उत्सव का आनंद लेने का अवसर प्राप्त होता है।



इस भव्य सांस्कृतिक आयोजन का संचालन एवं आयोजन मंदाकिनी द्विवेदी, सुनीता शर्मा तथा मीना सोनवानी द्वारा किया जा रहा है। आयोजिकाओं की इस पहल को अमरकंटक में सांस्कृतिक गतिविधियों को विस्तार देने और महिलाओं की सक्रिय सहभागिता को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक सराहनीय कदम माना जा रहा है। प्रथम दिवस पर दिखाई दिया उत्साह इस बात का परिचायक रहा कि नगर में पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति महिलाओं एवं युवतियों की गहरी रुचि है। आयोजन ने धार्मिक नगरी अमरकंटक में नवरात्र के उल्लास को एक नया सांस्कृतिक आयाम प्रदान किया है। 13 अक्टूबर को प्रथम दिवस का आयोजन भव्य रूप से संपन्न होने के बाद गरबा एवं डांडिया उत्सव के आगामी कार्यक्रम 14 और 15 अक्टूबर को भी आयोजित किए जाएंगे। आयोजिकाओं ने अमरकंटक की समस्त महिलाओं एवं युवतियों से इस सांस्कृतिक उत्सव में सहभागिता कर आयोजन की गरिमा बढ़ाने की अपील की है। गरबा एवं डांडिया में रुचि रखने वाली महिलाएं और युवतियां नर्मदा मंदिर के समक्ष आयोजित इस उत्सव में शामिल होकर पारंपरिक नृत्य, संगीत और सामूहिक उल्लास का आनंद ले सकती हैं। अमरकंटक में पहली बार आयोजित यह भव्य गरबा एवं डांडिया उत्सव नगर की सांस्कृतिक गतिविधियों में एक नवीन अध्याय जोड़ रहा है। प्रथम दिवस की उत्साहपूर्ण शुरुआत के बाद अब सभी की निगाहें आगामी दो दिनों के आयोजनों पर टिकी हैं। उम्मीद है कि यह पहल नगर में सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक समरसता और सामूहिक सहभागिता की भावना को और अधिक सशक्त करेगी।

खबर संक्षेप

नाली निर्माण में लापरवाही पर भुगतान रोकने के निर्देश



बरही। नगर परिषद बरही के वार्ड क्रमांक 8 में निर्माणाधीन नाली का आज मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं इंजीनियर द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने ठेकेदार को स्पष्ट एवं सख्त निर्देश दिए कि नाली का निर्माण निर्धारित मापदंडों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जाए। निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कार्य में लापरवाही पाई गई, तो भुगतान नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि वार्डवासियों एवं मीडिया के द्वारा लंबे समय से नाली निर्माण की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें की जा रही थीं। इससे पहले भी निर्माण कार्य में गुणवत्ता संबंधी कमियां पाए जाने के बाद ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया था। इसके बावजूद अब निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। नगर परिषद अधिकारी का स्पष्ट संदेश है कि सरकारी राशि से होने वाले निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए।जनता के पैसे से होने वाले विकास कार्य टिकाऊ और मानक के अनुरूप होने चाहिए, ताकि नागरिकों को बार-बार परेशानियों का सामना न करना पड़े।

नगर निगम परिसर में सामूहिक विवाह का आयोजन 20 नवम्बर को

कटनी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह, निकाह योजना के तहत नगर पालिक निगम, कटनी द्वारा सामूहिक विवाह का भव्य आयोजन 20 नवम्बर 2026 को नगर निगम परिसर में किया जाना निर्धारित है। महापौर श्रीमती प्रीति संजीव सूरी, निगम अध्यक्ष मनीष पाठक एवं निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार ने निगम क्षेत्र के पात्र हितग्राहियों से निर्धारित तिथि तक आवेदन जमा कर योजना का लाभ उठाने की अपील की है। योजना प्रभारी, नगर निगम कटनी ने बताया कि योजना अंतर्गत पात्रता हेतु कन्या तथा कन्या के अभिभावक का गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करना तथा उनका बीपीएल पोर्टल पर सत्यापन होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने हेतु इच्छुक हितग्राही नगर निगम कार्यालय की योजना शाखा से निर्धारित प्रपत्र प्राप्त कर आवश्यक दस्तावेजों सहित 05 नवंबर 2026 तक अनिवार्य रूप से आवेदन जमा करें। विवाह हेतु वर-वधु का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। वधु की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आवेदन के साथ वर-वधु के आयु संबंधी प्रमाण पत्र, दोनों की समग्र आई.डी., समग्र आई.डी. में आधार नंबर **E-kyc**, वधु का राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता, वर-वधु की संयुक्त फोटो, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर एवं निगम क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य है।

ताला तोड़कर काउंटर से पार किये 5 हजार

कटनी। बड़वारा मुख्यालय स्थित सेंट्रल बैंक के कियोस्क सेवा केंद्र में बीती रात अज्ञात चोरों ने ताला-कुंडा तोड़कर काउंटर के लॉकर से 5000 नकद चुराए। घटना की जानकारी मंगलवार सुबह करीब 10 बजे कियोस्क संचालक गोविंद शर्मा को मिली। केंद्र पहुंचने पर उन्होंने मुख्य दरवाजे का ताला टूटा और काउंटर का लॉकर खुला पाया। उन्होंने तुरंत बड़वारा थाने में शिकायत दर्ज कराई। संचालक गोविंद शर्मा ने बताया कि चोरों ने पहले ताला तोड़ने की कोशिश की, फिर दरवाजे का पूरा कुंडा उखाड़ दिया। सबूत मिटाने के लिए उन्होंने सीसीटीवी कैमरों के तार भी काट दिए थे।

लोढाधार महारानी में भक्तों की मनोकामना होती है पूरी

ब्यौहारी। व्यवहारी नगर के बस स्टैंड में स्थित प्राचीन लोढाधार महारानी में नवरात्रि के समय भक्तों का ताता लगा रहता है मान्यता है कि लोढाधार महारानी सूनी गोद भर्ती हैं भक्तों की मुरादे पूरी होती है मुख्य पुजारी मुकेश शुक्ला ने बताया कि जो माता रानी के दरबार में निरंतर सेवा देने आते हैं उनके ऊपर माता रानी कृपा जरूर बरसाती हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है मंदिर समिति के द्वारा भक्तों के लिए सभी तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है प्रतिदिन खिचड़ी का प्रसाद भी बटता है मंदिर समिति के अध्यक्ष अरुणोदय नंद शुक्ला, कोषाध्यक्ष रामजी गुप्ता राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, जगदीश प्रसाद बर्मन अनिल हवाई द्वारा प्रतिदिन सुबह मंदिर पहुंचकर मंदिर की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हैं।



पंचमी को चढ़ेगा पंचामृत दशहरे में होगा भंडारा

मंदिर कमेटी के सदस्य राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने बताया कि पंचमी के दिन यहां भक्तों की भीड़ उमड़ती है पंचामृत चढ़ता है और सभी भक्त प्रसाद प्राप्त करते हैं दशहरे के दिन मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। जन सहयोग से लगातार हो रहा माता रानी के परिसर का विकास-नवरात्रि एवं अन्य धार्मिक पर्वों में एकत्रित चंदे का सदुपयोग समिति द्वारा किया जाता है मंदिर के समिति द्वारा अभी सीढ़ियों में ग्रेनाइट और पीछे तरफ नारियल प्रसाद बेचने वालों के लिए छाया बनवाया गया है लगातार मंदिर परिषद में निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

हड़ताल से वापस लौटे पटवारी, लोगों ने जताई खुशी

ब्यौहारी। तहसील के अंतर्गत 21 सितंबर से समस्त पटवारी कलम बंद हड़ताल पर थे जिससे राजस्व से संबंधित सारे काम रूके हुए थे क्योंकि हर एक काम में पटवारी को ही प्रतिवेदन जांच करके देना पड़ता था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पटवारी की मांग मांग लेने के बाद सोमवार से पटवारियों ने अपना काम का शुरू कर दिया हल्का व्यवहारी के पटवारी का कार्यालय खुला जहां लोग अपने काम लेकर पहुंचे काम लेकर पहुंचे लाला कंजर ने बताया कि मेरे सीमांकन का काम अटका हुआ था जो अब होगा इसी तरह से बंटवारा के प्रतिवेदन को लेकर के बुद्धा प्रजापति ने कहा कि मेरा भी काम रुका हुआ था हड़ताल के कारण 60 वर्षीय वृद्धा प्रजापति मुदरिया ने कहा कि सरकार को पटवारियों की उचित मांगे मानना चाहिए जिससे उनके हड़ताल की स्थिति न आये।

गायत्री शक्तिपीठ के मुख्य पुजारी जी शारदेय नवरात्रि व्रत रख शक्तिपीठ के कार्य सेवा देते हैं

ब्योहारी। ब्योहारी गायत्री शक्तिपीठ में मुख्य पुजारी कई वर्षों से ब्योहारी गायत्री शक्तिपीठ में समिति के द्वारा मां गायत्री, मां दुर्गा, सहित गुरु जी, माता जी साथ गायत्री मंदिर सभी देवी-देवता कि सेवा करते हैं साथ हमेशा कि तरह सुबह 5 से भागवत पूजा, पुष्प अर्पित आरती भोग प्रसाद लगाना उसके बाद उपास्थित लोग हवन करते हैं पुजारी जी गायत्री शक्तिपीठ मंदिर चाहें चैत नवरात्रि हो या शारदेय नवरात्रि हो हमेशा सुबह सुबह उठकर पूजा पाठ करना साथ व्रत रख कर गायत्री शक्तिपीठ मंदिर समिति के सभी पदाधिकारी व सदस्य के साथ नवरात्रि में जो सेवा होता उसको पुरी जिम्मेदारी सांझा करते साथ ब्योहारी गायत्री शक्तिपीठ मंदिर मिल सार पुजारी जी व्योहार के कारण आज कई वर्षों से विश्वास के सेवा दें रहें हैं।



तीन साल बाद भी अधूरा बकहो का प्रवेश द्वार और सीमा बोर्ड भी नदारद

2023 में जैतपुर विधायक मनीषा सिंह ने किया था शिलान्यास, ठेकेदार पर मेहरबानी से उठ रहे सवाल

अमलाई। नगर परिषद बकहो की पहचान आखिर कहां है? वर्ष 2023 में जैतपुर की तत्कालीन विधायक मनीषा सिंह द्वारा नगर परिषद के प्रवेश द्वार का शिलान्यास किया गया था। उम्मीद थी कि जल्द ही बकहो को एक आकर्षक प्रवेश द्वार मिलेगा, लेकिन करीब तीन साल बीत जाने के बाद भी मौके पर केवल अधूरे पिलर नजर आ रहे हैं। प्रवेश द्वार निर्माण के लिए टेंडर होने के बावजूद काम पूरा नहीं हो पाना नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है।

शिलान्यास हुआ, टेंडर भी निकला, फिर निर्माण अधूरा क्यों?

किसी भी नगर परिषद का प्रवेश द्वार केवल ईंट-पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि उस क्षेत्र की पहचान और विकास का प्रतीक होता है। बकहो में प्रवेश द्वार निर्माण की शुरुआत को लेकर लोगों में उम्मीद जगी थी, लेकिन वर्षों बाद भी वह उम्मीद पूरी होती नजर नहीं आ रही है।

जब इस निर्माण कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी थी, तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर काम समय पर पूरा क्यों नहीं हुआ? क्या ठेकेदार ने निर्धारित समय-सीमा में काम पूरा नहीं किया? क्या उसे अतिरिक्त मोहलत दी गई? यदि मोहलत दी गई, तो उसकी वजह क्या थी और अब तक निर्माण पूरा कराने के लिए क्या कार्रवाई की गई? आखिर टेंडर होने और शिलान्यास के बाद भी प्रवेश द्वार का निर्माण अधूरा रहने की



जिम्मेदारी किसकी है—ठेकेदार की, निगरानी करने वाले अधिकारियों की या फिर उन जनप्रतिनिधियों की, जिन्हें विकास कार्यों की प्रगति पर नजर रखनी चाहिए?

ठेकेदार को आखिर कितनी मोहलत, जनता को कब मिलेगी राहत?

प्रवेश द्वार का निर्माण कार्य वर्षों से अधूरा रहने के मामले में ठेकेदार को दी गई मोहलत भी जांच और जवाबदेही का विषय है। यदि निर्धारित समय में काम पूरा नहीं किया गया, तो नगर परिषद ने अनुबंध की शर्तों के तहत क्या कार्रवाई की? क्या देरी के लिए कोई जुर्माना लगाया गया या काम पूरा कराने के लिए अंतिम समय-सीमा तय की गई? इन सवालों का जवाब इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि सार्वजनिक निर्माण कार्यों में देरी का सीधा असर क्षेत्र के विकास और सरकारी व्यवस्था पर जनता के भरोसे पर पड़ता है। नगर परिषद को कार्यादेश, निर्माण की समय-सीमा, अब तक की प्रगति और देरी के कारणों की जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए, ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके।

नगर परिषद की पहचान के लिए सीमा बोर्ड तक नहीं!

हैरानी की बात यह भी है कि स्थानीय लोगों के बीच नगर परिषद क्षेत्र की सीमा पर पहचान संबंधी बोर्ड नहीं होने को लेकर चर्चा है। जिस निकाय की जिम्मेदारी अपने क्षेत्र की पहचान और विकास को मजबूत करना है, उसी क्षेत्र में प्रवेश करने पर उसकी स्पष्ट पहचान नजर नहीं आना नगर परिषद पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

जनप्रतिनिधियों से सवाल

वर्ष 2023 में प्रवेश द्वार का शिलान्यास जैतपुर विधायक द्वारा किया गया था। ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि शिलान्यास के बाद निर्माण कार्य की प्रगति को लेकर क्या पहल की गई? क्या संबंधित विभाग या नगर परिषद से काम की स्थिति की जानकारी ली गई? यदि प्रयास किए गए, तो उनका परिणाम अब तक सामने क्यों नहीं आया? वहीं, नगर परिषद के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदार अधिकारियों को भी जनता के सामने स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। विकास कार्यों की जिम्मेदारी केवल शिलान्यास करने तक सीमित नहीं हो सकती। नगर परिषद बकहो के प्रवेश द्वार की मौजूदा स्थिति कई सवाल खड़े करती है। टेंडर होने के बावजूद निर्माण अधूरा क्यों है? ठेकेदार को कितनी मोहलत दी गई? काम पूरा कराने के लिए क्या कदम उठाए गए? और नगर परिषद क्षेत्र की सीमा पर पहचान बोर्ड कब लगाया जाएगा।

इनका कहना

ठेकेदार को समय समय पर अधूरे निर्माण के लिए कहा गया है ठेकेदार ने निर्माण पूरा करने के लिए 10 दिनों का समय और मांगा है

मौसमी केवट,
अध्यक्ष नगर परिषद बकहो

नगर परिषद बकहो की लापरवाही से वार्ड नंबर 12 में गहराया जल संकट, पानी के लिए भटक रहे लोग



शहरी क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों से भी बदतर हालात, सीएमओ से संपर्क नहीं होने पर नागरिकों में नाराजगी

अमलाई। नगर परिषद बकहों के वार्ड नंबर 12 में पानी की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। क्षेत्र के रहवासियों को पीने और रोजमर्रा के उपयोग के लिए पानी जुटाने के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है। शहरी क्षेत्र में शामिल होने के बावजूद वार्ड के हालात ग्रामीण इलाकों से भी बदतर नजर आ रहे हैं। पानी जैसी मूलभूत सुविधा के लिए लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, लेकिन समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में जिम्मेदारों की ओर से ठोस पहल होती दिखाई नहीं दे रही है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि वार्ड की समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों का अपेक्षित ध्यान नहीं मिल रहा है। अपनी परेशानी अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए नागरिक नगर परिषद की मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) से मिलने और फोन के माध्यम से संपर्क करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनका आरोप है कि सीएमओ न तो नियमित रूप से कार्यालय में उपलब्ध रहती हैं और न ही फोन उठाकर लोगों की समस्याएं सुनती हैं। ऐसे में आम नागरिक अपनी शिकायत लेकर आखिर किसके पास जाएं, यह बड़ा सवाल है।

नगर परिषद का दायित्व शहरवासियों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना और क्षेत्र की समस्याओं का समय पर निराकरण करना है। इसके लिए प्रशासन द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, ताकि नागरिकों को राहत मिल सके और विकास कार्यों को गति मिले। लेकिन वार्ड नंबर 12 में व्याप्त जल संकट और अधिकारियों से संपर्क नहीं हो पाने की शिकायतों ने नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

अब समाधान की मांग

वार्डवासियों ने मांग की है कि नगर परिषद प्रशासन जल संकट को गंभीरता से लेते हुए पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करे। साथ ही सीएमओ की कार्यालय में उपलब्धता और आम नागरिकों की शिकायतों पर सुनवाई की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए, ताकि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार भटकना न पड़े।

अब देखना होगा कि नगर परिषद प्रशासन वार्ड नंबर 12 के रहवासियों की परेशानी को कब गंभीरता से लेता है और उन्हें पानी जैसी बुनियादी सुविधा से राहत दिलाने के लिए क्या कदम उठाता है।

इनका कहना

कही-कही टैंकर से पानी की सप्लाई दी जा रही है अब नए सिरे से पाइप लाइन बिछ रहे जल्द ही लोगो को समय पर पानी मिलने लगेगा।

मौसमी केवट,
अध्यक्ष नगर परिषद बकहो

एएसपी के नेतृत्व में पुलिस ने शहर भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा

हरिभूमि न्यूज ⏭ कटनी



नवरात्रि पर्व के दौरान शहर में चाक-चौबंद सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन में जिलेभर में निगरानी तेज कर दी गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य के नेतृत्व में पुलिस बल ने शहर के संवेदनशील और व्यस्त इलाकों में पैदल मार्च व मोबाइल पेट्रोलिंग कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।

पुलिस टीम का पैदल मार्च मिशन चौक से शुरू हुआ, जो खेरमाई मंदिर, प्रमुख गरबा स्थलों, रामलीला मंचन स्थल और जलपा मढ़िया होते हुए शहर के मुख्य बाजारों से गुजरा। इस दौरान उप पुलिस अधीक्षक रत्नेश मिश्रा, यातायात थाना प्रभारी अनूप सिंह सहित पुलिस बल मौजूद रहा। अधिकारियों ने प्रतिमा पंडालों, सांस्कृतिक आयोजन स्थलों और भीड़भाड़ वाले बाजार परिसरों में जाकर व्यवस्थाओं को परखा।

अधिकारियों ने स्थानीय दुकानदारों व आम नागरिकों से संवाद कर सुरक्षा संबंधी जानकारी ली और संदिग्ध वस्तुओं की जांच की। पर्व के मद्देनजर सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों, गरबा पांडालों और चौराहों पर फिक्स पॉइंट बनाकर पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही मोबाइल पेट्रोलिंग पार्टियां लगातार शहर में गश्त कर रही हैं।

पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे त्योहार को आपसी सौहार्द और शांति के साथ मनाएं। पुलिस ने नागरिकों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध वस्तु या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल नजदीकी पुलिस थाने या डायल-112 पर देने का आग्रह किया है।

करंट की चपेट में आने से नर हाथी की मौत, खेत के पास मिला शव

देवलौद। नगर परिषद खांड़ के वार्ड क्रमांक-07 अंतर्गत ग्राम चंदोली में मंगलवार सुबह करंट की चपेट में आने से एक नर हाथी की मौत हो गई। मकना नाम का हाथी दायीं तट नहर के दक्षिण में पहाड़ जलमाखोली के नीचे स्थित एक खेत में पंप हाउस के पास मृत अवस्था में मिला। घटनास्थल पर बिजली का तार मिलने और जांच के दौरान विद्युत सप्लाई चालू पाए जाने से प्रथम दृष्टया हाथी की मौत का कारण करंट लगना माना जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। वन विभाग ने मामले में वन अपराध प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।



झुंड से अलग होकर राजस्व क्षेत्र में पहुंचा था हाथी

उत्तर वन मंडल शहडोल के वन परिक्षेत्र पश्चिम ब्यौहारी की चचाई वन बीट में हुई इस घटना के संबंध में डीएफओ तरुणा वर्मा (आईएफएस) ने बताया कि मध्यरात्रि के दौरान क्षेत्र में हाथियों का झुंड सक्रिय था। इसी दौरान एक हाथी झुंड से अलग होकर राजस्व क्षेत्र में पहुंच गया और विद्युत तारों की चपेट में आ गया। घटनास्थल पर बिजली का तार मिलने के साथ विद्युत सप्लाई चालू होने की पुष्टि हुई है। हालांकि, हाथी किन परिस्थितियों में करंट की चपेट में आया, इसका स्पष्ट खुलासा विस्तृत जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगा।

वरिष्ठ वन अधिकारियों ने किया घटनास्थल का निरीक्षण

हाथी की मौत की सूचना मिलने पर वन संरक्षक शहडोल एम.पी. सिंह (आईएफएस), डीएफओ तरुणा वर्मा (आईएफएस), बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के एफडी अनुपम सहाय, एसडीओ अंशज भदौरिया, रेन्जर गण संदीप कुमार गौतम, रजनीश त्रिपाठी, अरुण कुमार उपाध्याय, अशोक कुमार निगम, दिनेश कुमार शर्मा और तरुणेन्द्र सिंह समेत वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी मौके पर पहुंचे।वन विभाग की टीम ने घटनास्थल की घेराबंदी कर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की। करीब 30 वनकर्मियों की मौजूदगी में आवश्यक कार्रवाई की गई। साक्ष्यों को सुरक्षित रखते हुए डॉग स्क्वॉड की मदद से आसपास के क्षेत्र की छानबीन की जा रही है। विभागीय जानकारी के अनुसार, मृत हाथी के शरीर के सभी अंग सुरक्षित पाए गए हैं।

पोस्टमार्टम के बाद होगा अंतिम संस्कार

वन विभाग के अनुसार, विशेषज्ञ वन्यजीव चिकित्सकों की टीम निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत हाथी का पोस्टमार्टम करेगी। घटना से जुड़े साक्ष्यों के संकलन और संरक्षण के लिए फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। पोस्टमार्टम के बाद नियमानुसार अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके लिए घटनास्थल पर जेसीबी मशीन की सहायता से खुदाई का कार्य भी किया जा रहा है। वन विभाग ने वन अपराध प्रकरण दर्ज कर जांच आगे बढ़ा दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर हाथी की मौत के वास्तविक कारणों तथा घटना से जुड़ी परिस्थितियों का पता लगाया जाएगा।

वर्ष 2018 से क्षेत्र में विचरण कर रहे हाथी

डीएफओ तरुणा वर्मा ने बताया कि क्षेत्र में घना जंगल होने के कारण वन्यजीवों की आवाजाही बनी रहती है। वर्ष 2018 से इस इलाके में हाथियों का विचरण देखा जा रहा है। हाथियों की आवाजाही के दौरान कई बार किसानों की फसलों और घरों को नुकसान पहुंचने की घटनाएं भी सामने आती रही हैं। उन्होंने बताया कि वन्यजीवों के कारण फसल अथवा संपत्ति को नुकसान होने पर राजस्व विभाग निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मुआवजा दिया जाता है।

मानव और वन्यजीवों की सुरक्षा जरूरी : डीएफओ

डीएफओ तरुणा वर्मा ने कहा कि वन विभाग का प्रयास है कि वन्यजीवों के साथ-साथ मनुष्य भी सुरक्षित रहें। इसके लिए मानव और वन्यजीवों के बीच सह-अस्तित्व, शांति और सौहार्द बनाए रखना आवश्यक है। हाथियों के विचरण वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और वन्यजीवों की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील रहने की जरूरत है।

मांगों एवं लंबित समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग

11 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार परिषद ने सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन

हरिभूमि न्यूज ⏭ कटनी

पपत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक-आर्थिक संरक्षण को लेकर राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार परिषद की कटनी जिला इकाई ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम कलेक्टर आशीष तिवारी को 11 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। परिषद ने शासन से मांग की है कि पत्रकारों की लंबे समय से लंबित समस्याओं का त्वरित निराकरण करते हुए ठोस नीतियां लागू की जाएं।

परिषद के जिलाध्यक्ष गोपाल सिंघानिया ने बताया कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकार विषम परिस्थितियों में जनहित के मुद्दे उठाते हैं, लेकिन आज भी वे मूलभूत सुरक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक संरक्षण के अभाव से जूझ रहे हैं। संगठन ने शासन से इन मांगों पर संवेदनशीलता से विचार कर शीघ्र आदेश जारी करने का आग्रह किया है।

अधिमान्यता नियमों का सरलीकरण ग्रामीण व तहसील स्तर के पत्रकारों को अधिमान्यता मिले तथा अनुभव की अनिवार्यता 20 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष की जाए। श्रद्धा निधि की आयु सीमा घटे पत्रकार श्रद्धा निधि की पात्रता आयु 62 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष की जाए और वरिष्ठ व आर्थिक रूप से कमजोर पत्रकारों के लिए सम्मान पेंशन लागू हो। पत्रकारों पर हमले, धमकी और उत्पीड़न रोकने हेतु प्रदेश में कड़ा पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो। पत्रकारों और उनके परिजनों को कम से कम 8 लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिले। असामयिक निधन अथवा गंभीर दुर्घटना पर आश्रित परिवार को न्यूनतम 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाए।

खबर संक्षेप

आमाडांड खदान से प्रभावित भूमि स्वामियों के रोजगार पर मंथन



अनूपपुर। एसईसीएल के जमुना-कोतमा क्षेत्र की आमाडांड खुली खदान परियोजना से प्रभावित भूमिस्वामियों को रोजगार उपलब्ध कराने के मुद्दे पर बुधवार को जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर एवं समिति के अध्यक्ष रत्नाकर झा की अध्यक्षता में हुई बैठक में आमाडांड, निमहा और कुहका गांव के प्रभावित भूमिस्वामियों के रोजगार से संबंधित प्रकरणों पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में प्रभावित भूमिस्वामियों को रोजगार देने की प्रक्रिया, संबंधित प्रकरणों तथा निर्धारित नियमों और प्रावधानों के अनुरूप की जाने वाली कार्रवाई पर चर्चा हुई। कलेक्टर ने प्रभावितों से जुड़े मामलों में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने और रोजगार उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया। समिति की बैठक में इस बात पर भी चर्चा की गई कि रोजगार से जुड़े प्रकरणों का निराकरण निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाए तथा प्रत्येक मामले में आवश्यक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। परियोजना से प्रभावित भूमिस्वामियों को रोजगार देने के मामलों में समिति की भूमिका और नियमानुसार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर विचार किया गया। बैठक में जिला स्तरीय पुनर्वास समिति के सचिव सहित संबंधित सदस्य उपस्थित रहे। हालांकि, बैठक के बाद कितने भूमिस्वामियों को रोजगार देने पर सहमति बनी, कितने प्रकरण लंबित हैं और रोजगार उपलब्ध कराने की समय-सीमा क्या तय की गई, इसकी जानकारी जारी विज्ञप्ति में नहीं दी गई। ऐसे में प्रभावित परिवारों को रोजगार का लाभ कब तक मिलेगा, यह स्पष्ट होना बाकी है।

छत्तीसगढ़ की परिवहन पर्ची पर एमपी 65 जेडडी 2127 तो मध्यप्रदेश में एमपी 65 जेडडी 8127 दर्ज

रेत परिवहन में टीपी के दो वाहन नंबर

आखिर किसके दस्तावेज पर दौड़ रहा था वाहन?

जैतहरी पुलिस की कार्रवाई के बाद खनिज विभाग की जांच पर निगाहें, ई-टीपी क्रमांक 126561736 के सत्यापन से खुल सकता है दस्तावेजों में दर्ज अंतर का राज, पुलिस और खनिज विभाग की आधिकारिक जानकारी का इंतजार







अनूपपुर। जिले के जैतहरी क्षेत्र में रेत परिवहन से जुड़े एक मामले में सामने आए दस्तावेजों ने खनिज परिवहन व्यवस्था की निगरानी और परमिट सत्यापन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों में वाहन क्रमांक को लेकर अंतर दिखाई देने की बात सामने आई है। एक दस्तावेज में छत्तीसगढ़ से संबंधित परिवहन पर्ची पर वाहन क्रमांक एमपी 65 जेडडी 2127 का हस्तलिखित उल्लेख बताया जा रहा है, जबकि मध्यप्रदेश के ई-खनिज पोर्टल से प्राप्त अंतरराज्यीय परिवहन पास में एमपी 65 जेडडी 8127 दर्ज दिखाई देता है। दोनों वाहन क्रमांकों में अंतर है, लेकिन इसी अंतर ने पूरे परिवहन प्रकरण के दस्तावेजी सत्यापन को महत्वपूर्ण बना दिया है। सवाल यह है कि रेत परिवहन के दौरान प्रस्तुत दस्तावेज किस वाहन से संबंधित थे? क्या दोनों परिवहन पर्चियां अलग-अलग परिवहन प्रक्रियाओं की हैं या एक ही खेप के दस्तावेजों में वाहन क्रमांक का अंतर है? क्या मौके पर वाहन और परमिट का मिलान किया गया था? इन सवालों का जवाब आधिकारिक जांच से ही सामने आएगा। फिलहाल उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किसी परमिट को फर्जी घोषित करना या किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा, लेकिन सामने आए अंतर की जांच जरूरी है।

ई-टीपी में 3 घनमीटर रेत, परिवहन की समय-सीमा भी दर्ज

उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक परिवहन पर्ची के छायाचित्र के अनुसार, परमिट क्रमांक 126561736 पर परिवहन की तारीख 14 अक्टूबर 2026 और समय दोपहर 12:18 बजे दर्ज है। इसमें खनिज रेत की मात्रा 3 घनमीटर बताई गई है। रेत लादने का स्थान मलादांड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ और गंतव्य सीताराम गुंजी बिहार, अनूपपुर, मध्यप्रदेश दर्शाया गया है। दस्तावेज में परिवहन पर्ची की वैधता उसी दिन शाम 3:18 बजे तक दिखाई गई है। इस विवरण के साथ वाहन क्रमांक का सही मिलान बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि परिवहन के दौरान प्रस्तुत वाहन का नंबर और पोर्टल पर दर्ज नंबर अलग पाए जाते हैं, तो यह जानना आवश्यक होगा कि अंतर किस वजह से आया। क्या दस्तावेजों में कोई त्रुटि थी, क्या दोनों दस्तावेज अलग-अलग खेपों के थे या किसी परमिट के इस्तेमाल को लेकर कोई अनियमितता हुई? इन संभावनाओं में से किसी की भी पुष्टि अभी उपलब्ध जानकारी से नहीं होती। इसके लिए पोर्टल के आधिकारिक अभिलेख, मूल दस्तावेज और वाहन पंजीयन का मिलान करना होगा।

11 मई की मुहर वाले दस्तावेज की भूमिका भी हो स्पष्ट

मामले में उपलब्ध एक अन्य दस्तावेज पर 11 मई 2026 की मुहर और हस्तलिखित अंतरराज्यीय परिवहन पास संख्या जैसा उल्लेख दिखाई देने की बात कही गई है। यह दस्तावेज 14 अक्टूबर को दर्ज इलेक्ट्रॉनिक परिवहन पर्ची से किस प्रकार जुड़ा है, इसे लेकर भी स्पष्टता जरूरी है। क्या यह पुराने परिवहन से संबंधित दस्तावेज है, किसी अन्य प्रक्रिया का हिस्सा है या इसका वर्तमान मामले से कोई सीधा संबंध नहीं है इसकी पुष्टि संबंधित विभाग ही कर सकता है। दस्तावेजों की तारीख, क्रमांक, वाहन नंबर और परिवहन विवरण का आपस में मिलान किए बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। इसलिए जांच में केवल वाहन क्रमांक ही नहीं, बल्कि दोनों दस्तावेजों के जारी होने की तारीख, उनकी वैधता, खनिज की मात्रा, रेत लादने के स्थान और गंतव्य की भी पड़ताल होनी चाहिए।

जैतहरी पुलिस की कार्रवाई, लेकिन पूरा ब्योरा कहां?

बताई गई जानकारी के अनुसार, 14 अक्टूबर 2026 को जैतहरी पुलिस ने रेत परिवहन से जुड़े मामले में कार्रवाई की। हालांकि, समाचार लिखे जाने तक कार्रवाई का विस्तृत आधिकारिक विवरण उपलब्ध नहीं हो सका। यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि पुलिस ने किस वाहन को रोका या जब्त किया, वाहन में कितनी रेत थी, मौके पर कौन-कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किए गए और वाहन क्रमांक के अंतर को लेकर क्या जांच की गई। यदि मामले में वाहन और परमिट के विवरण में अंतर सामने आया था, तो उसका सत्यापन किस स्तर पर कराया गया? क्या पुलिस ने ई-खनिज पोर्टल के अभिलेखों की जांच की? क्या छत्तीसगढ़ के संबंधित विभाग से मूल परिवहन पर्ची की पुष्टि कराने की प्रक्रिया शुरू की गई? क्या खनिज विभाग को कार्रवाई के लिए सूचित किया गया? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सामने आना चाहिए, ताकि कार्रवाई की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके। लिहाजा, पुलिस की कार्रवाई और जांच की वर्तमान स्थिति की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है।

खनिज विभाग की जिम्मेदारी भी कम नहीं

रेत का अंतरराज्यीय परिवहन केवल वाहन में खनिज लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का मामला नहीं है। इसमें परिवहन अनुमति-पत्र, वाहन की पहचान, खनिज की मात्रा, रेत लादने का स्थान और गंतव्य जैसे विवरणों का सही होना महत्वपूर्ण है। यदि दस्तावेजों में वाहन क्रमांक का अंतर सामने आता है, तो संबंधित अभिलेखों का सत्यापन कर यह स्पष्ट करना जरूरी है कि परिवहन नियमों के अनुरूप हुआ या नहीं। इस मामले में इलेक्ट्रॉनिक परिवहन पर्ची क्रमांक 126561736 का पोर्टल अभिलेख, वाहन एमपी 65 जेडडी 8127 का पंजीयन विवरण और छत्तीसगढ़ की बताई जा रही परिवहन पर्ची पर दर्ज वाहन एमपी 65 जेडडी 2127 का सत्यापन जांच की अहम कड़ी हो सकता है। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि दोनों दस्तावेज एक ही परिवहन से जुड़े हैं या नहीं। यदि जांच में अनुमति-पत्र के दुरुपयोग, गलत वाहन विवरण प्रस्तुत करने अथवा अन्य अनियमितता की पुष्टि होती है, तो नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं, यदि दस्तावेजों में अंतर का कोई वैध कारण है, तो विभाग को उसे स्पष्ट करना चाहिए। मामले में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जांच के निष्कर्षों को सार्वजनिक करना भी जरूरी है।

दस्तावेजों में अंतर, अब जवाबदेही से पीछे न हटें विभाग

रेत परिवहन से जुड़े इस मामले में फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उपलब्ध दस्तावेजों में वाहन क्रमांक को लेकर अंतर बताए जाने के बावजूद उसकी आधिकारिक स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे में केवल आरोप-प्रत्यारोप से मामला सुलझने वाला नहीं है। जरूरत है कि पुलिस और खनिज विभाग दस्तावेजों का सत्यापन कर वास्तविक स्थिति सामने रखें। मांग है कि इलेक्ट्रॉनिक परिवहन पर्ची क्रमांक 126561736, दोनों वाहन क्रमांकों और 14 अक्टूबर को जैतहरी पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की निष्पक्ष जांच कराई जाए। यदि दस्तावेजों के दुरुपयोग या परिवहन नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। यदि मामला दस्तावेजी त्रुटि का है, तो उसका कारण भी स्पष्ट किया जाए। सवाल सीधा है जब एक दस्तावेज में एक वाहन क्रमांक और दूसरे में अलग क्रमांक दर्ज दिखाई दे रहा है, तो वास्तविकता क्या है? इसका जवाब किसी अनुमान या आरोप से नहीं, बल्कि मूल परिवहन पर्ची, ई-खनिज पोर्टल के अभिलेख और वाहन पंजीयन के आधिकारिक मिलान से मिलना चाहिए। अब देखना यह है कि संबंधित विभाग इस अंतर को स्पष्ट करने के लिए कितनी गंभीरता से जांच करते हैं।

हाथ-पैर में रस्सी से बंधने के घावों में फैला संक्रमण, मेडिकल कॉलेज रेफर

न्यायालय के निर्देश पर चल रहा था उपचार, हालत बिगड़ने पर शहडोल भेजा गया आरोपी



अनूपपुर। करनपठार थाना क्षेत्र में चार लोगों की हत्या के गंभीर आरोप में जिला जेल अनूपपुर में बंद प्रेम सिंह गोंड की तबीयत बिगड़ने पर उसे उपचार के लिए शहडोल मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। बुधवार दोपहर उसे जिला जेल से जिला अस्पताल लाया गया था। यहां प्राथमिक उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उसके हाथ-पैर में रस्सी से बंधने के कारण बने घावों में संक्रमण फैलने की जानकारी सामने आने पर बेहतर उपचार के लिए उच्च चिकित्सा केंद्र भेजने का निर्णय लिया। जानकारी के अनुसार, प्रेम सिंह गोंड को 4 अक्टूबर को गिरफ्तारी के बाद न्यायालय में पेश किया गया था। उसकी शारीरिक स्थिति और घावों को देखते हुए न्यायालय ने पहले उपचार कराने के निर्देश दिए थे। इसके बाद से उसका इलाज चल रहा था। हालांकि, घावों में अपेक्षित सुधार नहीं होने और संक्रमण की आशंका के चलते उसे बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शहडोल मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। आरोपी की मानसिक स्थिति और हाथ-पैर में बने घावों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। परिजनों ने आशंका जताई है कि लंबे समय तक हाथ-पैर बंधे रहने के कारण घाव गंभीर हुए। हालांकि, घावों के वास्तविक कारण और संक्रमण की स्थिति की पुष्टि चिकित्सकीय जांच के आधार पर ही हो सकेगी। प्रेम सिंह गोंड पर 3 अक्टूबर को अमोदा गांव में अपनी 70 वर्षीय नानी भत्ती बाई गोंड, 75 वर्षीय नाना संपत सिंह गोंड और 50 वर्षीय मां अनुप्रिया बाई की डंडे से पीटकर हत्या करने का आरोप है। इसके अलावा, उस पर अपने मामा सहित परिवार की दो अन्य बेटियों पर डंडे और पत्थरों से हमला कर गंभीर रूप से घायल करने का भी आरोप लगाया गया है। घायलों को उपचार के लिए शहडोल अस्पताल ले जाया गया था। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। फिलहाल, तबीयत बिगड़ने के बाद उसे बेहतर उपचार के लिए शहडोल मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। उसकी स्वास्थ्य स्थिति और उपचार में सुधार को लेकर विस्तृत जानकारी चिकित्सकीय रिपोर्ट एवं आधिकारिक पुष्टि के बाद ही सामने आ सकेगी।

अमरकंटक जूना अखाड़ा संत हत्याकांड

दादा अलबेले भोलगिरी खड़ेश्वरी महाराज संत के हत्यारे को उम्र कैद की सजा

कोर्ट ने दोषी वीरेंद्र खटेट को तत्काल भेजा जेल



मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक स्थित जूना अखाड़ा से जुड़े संत की हत्या के मामले में न्यायिक प्रक्रिया का कड़ा फैसला सामने आया है। राजेंद्रग्राम अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने आरोपी वीरेंद्र सिंह खटेट को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 10,000 का अर्थदंड भी अधिरोपित किया है। अदालत का यह निर्णय धार्मिक आस्था और कानून-व्यवस्था के संरक्षण की दिशा में एक अहम नजीर बना है।

अनूपपुर। पवित्र तीर्थ नगरी अमरकंटक गढ़ीदादर चचानडीह में शिवदावा आश्रम जूना अखाड़े के संत की जघन्य हत्या के मामले में कानून का शिकंजा आखिरकार पूरी तरह कस गया है। राजेंद्रग्राम स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धनकुमार कड़ोपे की अदालत ने उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्यों, प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों और अभियोजन पक्ष की अकाट्य दलीलों पर विचार करते हुए मुख्य आरोपी वीरेंद्र सिंह खटेट को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह पूरा प्रकरण केवल एक आपराधिक घटना भर नहीं था, बल्कि अनैतिक प्रवृत्तियों और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध उठाई गई आवाज को दबाने का प्रयास भी था। प्राप्त विवरण के अनुसार, शराब, मांसाहार और महिलाओं के प्रति अनुचित व्यवहार का संत द्वारा विरोध किया जाना ही आरोपी वीरेंद्र सिंह खटेट की रंजिश की मुख्य वजह बना था। सामाजिक मर्यादा की रक्षा करने वाले संत पर हुआ यह जानलेवा हमला क्षेत्र में गहरा रोष पैदा कर चुका था। अदालत के इस सख्त निर्णय ने स्पष्ट संदेश दिया है कि कानून के राज में आस्था पर प्रहार करने वाले अपराधियों के लिए कोई नरमी नहीं है।

अतिरिक्त सत्र न्यायालय का कड़ा रुख और सजा का ऐलान

राजेंद्रग्राम स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने भोलगिरी खड़ेश्वरी अलबेले संत हत्याकांड की गंभीरता को देखते हुए दोषी वीरेंद्र सिंह खटेट को किसी भी प्रकार की न्यायिक राहत देने से इनकार कर दिया है। न्यायाधीश धनकुमार कड़ोपे ने स्पष्ट किया कि अपराध की प्रकृति अत्यंत गंभीर और समाज विरोधी है। अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ 10,000 का जुर्माना अदा करने का आदेश भी पारित किया है। जुर्माना न चुकाने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास का प्रावधान रखा गया है।

भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत दोषसिद्धि

अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत ठोस साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोषी वीरेंद्र सिंह खटेट पर भारतीय न्याय संहिता (ठछै) की धारा 103(1) के तहत आरोप सिद्ध माना है। यह धारा योजनाबद्ध तरीके से की गई हत्या के मामलों में कठोरतम दंड का प्रावधान करती है। न्यायालय ने आदेश में दर्ज किया कि प्रस्तुत मेडिकल रिपोर्ट, घटनास्थल के साक्ष्य और गवाहों के बयान हत्या के अपराध को पूरी तरह स्थापित करते हैं, जिसके चलते यह कठोर कानूनी दंड तय किया गया है।

अनैतिक प्रवृत्तियों के विरोध से उपजा था जानलेवा विवाद

मामले की जांच में यह तथ्य रेखांकित हुआ कि घटना की असली जड़ स्थानीय स्तर पर चल रही अनैतिक गतिविधियां थीं। अमरकंटक क्षेत्र में भोलगिरी खड़ेश्वरी अलबेले संत द्वारा सार्वजनिक रूप से शराब, मांसाहार और महिलाओं के साथ होने वाले अशोभनीय व्यवहार का लगातार विरोध किया जा रहा था। संत की यह सामाजिक सक्रियता आरोपी वीरेंद्र खटेट को नागवार गुजरी, जिससे दोनों के बीच रंजिश शुरू हुई और विवाद अंततः इस सुनियोजित हत्या के रूप में तब्दील हो गया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धनकुमार कड़ोपे का न्यायिक विश्लेषण

फैसला सुनाते समय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धनकुमार कड़ोपे ने कानून के शासन और जनसुरक्षा के संतुलन को सर्वोपरि रखा। अपने निर्णय में उन्होंने रेखांकित किया कि धार्मिक स्थलों के आसपास होने वाले ऐसे जघन्य अपराध न केवल विधि व्यवस्था को चुनौती देते हैं, बल्कि समाज में भय का वातावरण भी निर्मित करते हैं। अदालत ने अभियोजन के तथ्यों को प्रमाणित पाते हुए आरोपी को जेल भेजने तथा सजा के तत्काल क्रियान्वयन का स्पष्ट निर्देश दिया है।

पीड़ित पक्ष को न्याय और समाज में कानूनी संदेश

इस न्यायिक निर्णय से संत समाज और स्थानीय नागरिकों में न्यायपालिका के प्रति भरोसा और सुदृढ़ हुआ है। जूना अखाड़े के अनुयायी लंबे समय से इस मामले में त्वरित और कठोर दंड की मांग कर रहे थे। अदालत द्वारा हत्यारे को उम्रकैद की सजा दिए जाने से यह संदेश गया है कि किसी भी निर्दोष की जान लेने और कानून को हाथ में लेने वालों को न्याय व्यवस्था के तहत उनके अंतिम अंजाम तक पहुंचाया जाएगा।

जनगणना-2027 की तैयारी तेज, द्वितीय चरण के लिए जिला स्तरीय प्रशिक्षण संपन्न



फरवरी 2027 में होगी जनसंख्या गणना, प्रत्येक परिवार से जुटाई जाएंगी 40 प्रकार की जानकारियां

अनूपपुर। जनगणना-2027 के द्वितीय चरण की तैयारियों को गति देने के लिए जिला पंचायत सभागार अनूपपुर में आयोजित दो दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम बुधवार को संपन्न हुआ। कलेक्टर रत्नाकर झा के निर्देशानुसार आयोजित इस प्रशिक्षण में जनगणना कार्य से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जनसंख्या गणना की प्रक्रिया, प्रशासनिक जिम्मेदारियों और तकनीकी पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी गई। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत जनगणना कार्य निदेशालय, मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार आयोजित प्रशिक्षण में भोपाल से आए मास्टर ट्रेनर एवं प्रभारी जनगणना अधिकारी गिरीश कुमार शुक्ला तथा महेंद्र यादव ने प्रशिक्षणार्थियों को जनगणना की परिचालन प्रक्रिया, सीएमएमएस पीई मॉड्यूल, गणना खंडों के गठन और तकनीकी कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी। प्रशिक्षण में अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी, अनुविभागीय जनगणना अधिकारी, चार्ज जनगणना अधिकारी, अतिरिक्त चार्ज जनगणना अधिकारी, जनगणना लिपिक एवं तकनीकी सहायकों ने भाग लिया। जनगणना के द्वितीय चरण में प्रगणकों द्वारा प्रत्येक परिवार से 40 प्रकार की जानकारियां प्राप्त की जाएंगी। इन जानकारियों का संकलन डिजिटल माध्यम से किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्धारित प्रश्नावली, जानकारी दर्ज करने की प्रक्रिया तथा आंकड़ों की शुद्धता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए आवश्यक तकनीकी पहलुओं से अवगत कराया गया। प्रशिक्षकों ने जनगणना संबंधी प्रत्येक प्रक्रिया को गंभीरता से समझने, कार्य के दौरान आने वाली शंकाओं का तत्काल समाधान प्राप्त करने और निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही जनगणना कार्य को जिम्मेदारी पूर्वक और निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के लिए आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए गए। उल्लेखनीय है कि जनगणना-2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मध्यप्रदेश में 1 मई से 30 मई 2026 तक मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य संपन्न किया जा चुका है। अब द्वितीय चरण में फरवरी 2027 के दौरान जनसंख्या गणना प्रस्तावित है। इसके लिए जिले में संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर प्रशासनिक और तकनीकी तैयारियां की जा रही हैं, ताकि आगामी गणना कार्य को व्यवस्थित, पारदर्शी और त्रुटिरहित तरीके से संपन्न कराया जा सके।